न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30 / 2022

प्रार्थीगण

1. कोकू पुत्री तगा
2. छगनाराम पुत्र तगा
3. भमराराम पुत्र तगा
4. तारीदेवी पत्नि तगा
5. खेमा उर्फ चतरा पुत्र नरसा नाबालिंग जरिये सरंक्षक माता चंदना पत्नि नरसा
6. चंदना पत्नि नरसा
7. जेमता पुत्र तारा
8. मृतक रमेश कुमार पुत्र तगा के कायम मुकाम वारीसान
   - 8 / 1. कमलादेवी पत्नि रमेश कुमार
   - 8 / 2. हसुराम उर्फ हरचन्दराम
   - 8 / 3. भगवानाराम
   - 8 / 4. अरविन्द कुमार पिसराम रमेश कुमार ना.बा. जरिये कुदरती वली माता कमलादेवी
   - 8 / 5. गीता
   - 8 / 6. नाजू
   - 8 / 7. मंजू पुत्रीयान रमेशकुमार
   - 8 / 8. नर्मदा पुत्री रमेश कुमार ना. बा. जरिये कुदरती वली माता कमलादेवी पत्नि रमेश कुमार जातियान भील निवासीयान करड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. आसुराम पुत्र सालूराम
2. खेदा पुत्र मनरूपा
3. गोकलाराम पुत्र सालूराम
4. दरगा पुत्र मनरूपा
5. भलाराम पुत्र रामींगा
6. मथरादेवी पत्नि सालूराम
7. मरगादेवी पत्नि रामींगा
8. मसराराम पुत्र सालूराम
9. केसी पुत्री लाखा
10. करमीराम पुत्र लाखा
11. कृष्णराम पुत्र सवदाराम
12. कृष्णराम पुत्र जोराराम
13. चतराराम पुत्र जोराराम
14. चतराराम पुत्र करनाराम
15. जेठाराम पुत्र सवदाराम
16. जोगाराम पुत्र अनाराम
17. नोनूदेवी पत्नि सवदाराम
18. रवाराम पुत्र लाखा
19. राजाराम पुत्र लाखा
20. रामाराम पुत्र जोराराम
21. लेहरी पत्नि अनाराम
22. वचनाराम पुत्र जोराराम
23. वेनाराम पुत्र लाखा
24. वालाराम पुत्र करनाराम
25. सुकीदेवी पत्नि करनाराम
26. सुजीदेवी पत्नि जोराराम
27. हरकनराम पुत्र लाखा
28. हरजीराम पुत्र लाखा
29. केलीदेवी पत्नि होथीराम
30. मथरादेवी पत्नि सालूराम
31. समूदेवी पत्नि भलाराम
32. भीखी पुत्री लाखा जातियान देवासी निवासीयान करड़ा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर
33. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
2. अप्रार्थी संख्या 33 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

Signature Not Verified

दिनांक – 04.01.2024

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि र[illegible]द मौजा करड़ा तहसील रानीवाड़ा में

प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2590 रकबा 2.88हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। खातेदार रमेश कुमार पुत्र तगा की मृत्यु हो चुकी हैं। निजके कायम मुकाम वारीसान प्रार्थी संख्या 8/1 से 8/8 हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2590 के पड़ौस में उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2595 रकबा 1.33हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम से दर्ज हैं तथा प्रार्थीगण संख्या 9 से 28 व 32 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2591 रकबा 1.87हे. आई हुई हैं। पूर्व दिशा में गै.मु. नाला तथा उसके बाद में अप्रार्थी संख्या 29 व 30 की आराजी खसरा नंबर 4086/2623 रकबा 0.03हे., खसरा नंबर 4087/2623 रकबा 0.21हे. जुमले रकबा 0.24हे. आई हैं। पूर्व दिशा में गै.मु. नाला व उसके बाद अप्रार्थी संख्या 31 की आराजी खसरा नंबर 4085/2623 रकबा 0.16हे. आई हुई हैं। खातेदार अन्तरी पत्नि लाखा की मृत्यु हो गई, जिनके कायम मुकाम वारीसान प्रकरण हाजा में संयोजित कर लिए गये हैं। नकल जमाबंदी व नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र पेश हैं।

प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 2590 व अप्रार्थी संख्या 1 से 32 की खातेदारी आराजीयान खसरा नंबर 2595, 2591, 4086/2623 ,4087/2623 ,4085/2623 की सीमा को लेकर विवाद हैं तथा अप्रार्थी संख्या 29 से 31 ने तो नाले की आराजी सहित प्रार्थीगण की आराजी भी अपनी भूमि में मिला दी हैं। उक्त सीमा विवाद को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 32 प्रार्थीगण से सीमा पर हमेशा विवाद करते रहते हैं। सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा से उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 17 दिनांक 18.06.2022 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये थे, उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी करड़ा दिनांक 18.06.2022 को मौके पर पैमाईश हेतु गये तथा जरीब चला कर सीमांकन किया परन्तु मौके पर सीमा का विवाद होने से खातेदारान उक्त पैमाईश से संतुष्ट नहीं हुए तथा हल्का पटवारी करड़ा द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के आदेश की सही रूप से पालना नहीं की जा सकी। हल्का पटवारी करड़ा की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2022 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश हैं।

2. प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 2590 व अप्रार्थी संख्या 1 से 31 की खातेदारी आराजीयान खसरा नंबर 2595, 2591, 4086/2623,4087/2623, 4085/2623 की सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 32 प्रार्थीगण से सीमा पर विवाद करते रहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण अपने नाम की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2590 व अप्रार्थी संख्या 1 से 32 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2595, 2591, 4086/2623, 4087/2623,4085/2623 की पैमाईश कर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 32 की खातेदारी आराजी की बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी हैं, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश हैं।

अतः प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि सरहद मौजा करड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित तथा प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 2590 रकबा 2.8हे. व अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2595 रकबा 1.33हे. तथा अप्रार्थी संख्या 9 से 28 व 32 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2591 रकबा 1.87हे., अप्रार्थी संख्या 29 व 30 की आराजी खसरा नंबर 4086/2623

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.21हे., जुमले रकबा 0.24हे., अप्रार्थी संख्या 31 की आराजी खसरा नंबर 4085/2623 रकबा 0.16हे, की के बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करने के आदेश फरमावे।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 32 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 33 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देने से जवाब बंद किया गया।

4. हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.06.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर मौजा करड़ा के खसरा नम्बर 2590 रकबा 2.88 हैक्टेयर आराजी की माठ पर विवाद होने से सीमाकंन करवाया गया लेकिन पड़ौसी खतेदार सीमाकंन से संतुष्ठ नही हुए, तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा करड़ा के खसरा नम्बर 2590 व 2595, 2591, 2622 की आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा करड़ा के खसरा नम्बर 2590 रकबा 2.88 हैक्टेयर व 2595 रकबा 1.33 हैक्टेयर, 2591 रकबा 1.87 हैक्टेयर, 2622 रकबा 0.87 हैक्टेयर आराजी के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.02 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर